सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

ज्येष्ठ 19, सोमवार, *शाके* 1947- जून 09, 2025

Jyaistha 19, Monday, Saka 1947- June 09, 2025

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 27, 2025

(अतंर्गत भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1))

RAJKAJ 15530563 :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत् राजस्थान भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधान अनुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 1(150) राज-6/2016/02 दिनांक 27/01/2017 के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री बजट घोषणा की परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत Constt. of 2 Lane (RUB in Lunkaransar of railway chainage 245/5-6 Distt Bikaner विकसित किये जाने के प्रयोजन से जिला बीकानेर की तहसील लूणकरनसर में निम्नानुसार प्रभावित गांव में भूमि अर्जन प्रस्तावित हैः-

क्रम संख्या	जिला	तहसील	राजस्व–ग्राम
1	2	3	4
1	बीकानेर	लूनकरनसर	लूनकरनसर

परियोजना हेतु नियमानुसार सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा "सामाजिक आर्थिक विकास समिति, अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खण्ड-II बीकानेर (राजस्थान)" एजेंसी का चयन किया गया है।

उपर्युक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गांवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात प्रभावित गांवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरान्त जन सुनवाई की जावेगी, जिसकी कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकॉर्ड किया जावेगा।

3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझाओं/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंध योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।

5. सार्वजनिक निर्माण विभाग माध्यम के तहत विकसित किये जाने वाली परियोजनाओं हेतु अधिनियम की धारा 2(2)(')(ii) के प्रावधानानुसार प्रभावित परिवारों की सहमति आवश्यक होगी।

6. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।

7. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्ण/सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्रः-
सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
जिलाखण्ड-II बीकानेर (राजस्थान)

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी
सामाजिक आर्थिक विकास समिति
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
जिलाखण्ड-II बीकानेर (राजस्थान)

आर. के. लूथरा,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।